कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली
प्रेस नोट दिनांक- 03.07.2026

➡️हत्या के मामले में बड़ी सफलता: 50 हजार का इनामिया अभियुक्त बिहार से गिरफ्तार

➡️थाना सैयदराजा,साइबर सेल व सर्विलांस पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में हत्या के अभियोग में वांछित 50000/-रुपए का इनामिया 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना-

दिनांक-15.12.2025 को थाना सैयदराजा पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक-14.12.2025 को पूरे परिवार के साथ खाना पीना खाकर महिलाए घर के अन्दर तथा मै और मेरे लड़के बाहर लेटे थे कि मेरे घर के पास कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। मैं तथा मेरा लड़का मोनू तथा करन जग गया तो देखे के चार पाँच अज्ञात लोग खड़बड़-खड़बड़ कर रहे थे कि हम लोगो ने टोका तो गाली देते हुए हाथापाई करने लगे कि हम लोगो ने पकड़ने की कोशिश किया तो सभी लोग आपस मे कहने लगे कि सालो को गाली मार दो तभी एक व्यक्ति ने मेरे लड़के मोनू उम्र लगभग 15 वर्ष को जाने से मारने की नीयत से सीने में गोली मार कर सभी लोग भाग गये। हम लोग तुरन्त 112 नं.पर सूचना देते हुए मोनु को अस्पताल चन्दौली ले गये कि डाक्टरो ने मृत घोषित कर दिया। उक्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा मु0अ0सं0 307/2025 धारा 103(1)/305/317(3)/331/3(5)/61(2)/310(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई। पूर्व में उक्त घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

कार्यवाही-

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में गठित टीम थानाध्यक्ष सैयदराजा, अशोक कुमार मिश्र मय हमराहियान व उ.नि.अभिषेक शुक्ला साइबर सेल मय सर्विलान्स टीम के नेतृत्व में दिनांक-02.07.2026 को थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 307/2025 धारा 103(1)/305/317(3)/331/3(5)/61(2)/310(3) बीएनएस में 50,000 रुपए का वांछित इनामिया अभियुक्त मंगरु मुसहर पुत्र सूर्यनाथ मुसहर निवासी ग्राम कुढनी पोस्ट करमहरी थाना कुढनी जिला कैमूर बिहार उम्र 21 वर्ष को स्थानीय पुलिस के सहयोग से उसके घर ग्राम कुढनी पोस्ट करमहरी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

दिनांक-14.12.2025 को हुई हत्या के संबंध में पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त मंगरू मुसहर पुत्र सूर्यनाथ मुसहर द्वारा बताया गया कि नागेश्वर प्रसाद को मैं जानता पहचानता हूँ नागेश्वर उर्फ रिंकू अक्सर मुझे और हमारे अन्य साथी मनोज मुसहर पुत्र लक्ष्मण निवासी ग्राम तेलडा थाना शिवसागर जिला रोहतास बिहार, अमावस मुसहर पुत्र धर्मू मुसहर

निवासी ओराह (ओरा) कटकरा जिला भभुआ बिहार, राजू मुसहर पुत्र लक्ष्मन मुसहर निवासी सतोवती पुरानी कोट पोस्ट चपरंग एवती थाना नुवाँव जिला भभुआ बिहार और निहोर मुसहर निवासी ग्राम कठेज थाना मोहनियाँ जिला भभुआ बिहार, विनोद मुसहर पुत्र स्व. घुरहु मुसहर निवासी ग्राम नौबतपुर बिरैली थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली को अपने यहाँ बुलाता था और वहीं से खा पीकर चोरी की घटना कारित करते थे और घटना के दिन भी नागेश्वर प्रसाद के यहाँ चोरी का प्लान बना कर नहर पार करके बगल के गांव में भी तीन से चार घरों में चोरी किये ज्यादा माल न मिलने पर राम दुलारे के घर में रखी सीढ़ी जिसे नागेश्वर उर्फ रिंकू ने ही हम लोगों को उपलब्ध कराया था, जो राम दुलार के यहाँ ही रहता है हम लोग साथ में गये थे और दो घरों में सीढी के जरिये घर में फाँद कर चोरी किये थे अंतिम वाले घर में चोरी करते समय घर वाले जग गये और एक व्यक्ति ने निहोर मुसहर को पकड लिया जिसको छुड़ाने का हम लोग प्रयास किये लेकिन शोर गुल होने लगा हम लोग पकड़े जाने के डर से भागने लगे तभी निहोर मुसहर अपने पास रखे तमन्चे से पकडने वाले व्यक्ति को गोली मार दिया जिससे वह गिर कर तडपने लाग हम लोग भाग गये लेकिन निहोर मुसहर पकड़ा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

1.मंगरु मुसहर पुत्र सूर्यनाथ मुसहर निवासी ग्राम कुढनी पोस्ट करमहरी थाना कुढनी जिला कैमूर बिहार उम्र करीब 21 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

मु0अ0सं0 307/2025 धारा 103(1)/305/331/3(5)/61(2)/310(3) बीएनएस थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली